

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/2017/ ५२८

दिनांक : २१/८/१८

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिंथ स्तर के आवासीय भूखण्ड/स्केलटन रद्वक्चर एवं व्यावसायिक भूखण्ड के आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने सम्बन्धी प्रकरणों में निर्माण अवधि बढ़ाने अथवा नहीं बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय अब आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। इसके आधार पर पूर्व आदेश क्रमांक मूसप्र/2013/768/दिनांक 12.08.2013 एवं 857 दिनांक 16.11.2015 अंशतः संशोधित हो जायेगे। इन निर्देशों को आगामी बोर्ड बैठक में पुष्टि हेतु रखा जावे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि) /मुख्य सम्पदा प्रबंधक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम /द्वितीय /तृतीय/ (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त वृत्त — जयपुर राजस्थान आवासन मण्डल।
- ✓ संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी /नागरीक सेवा केन्द्र राज0 आ0 मण्डल,, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक